

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:अधिसूचना:

राँची, दिनांक— मार्च, 2020

संख्या-11/लो0से0आ0-01-03/2020 का0...../झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में निम्नवत् उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

1. विकास आयुक्त, झारखण्ड — अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड — सदस्य
3. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड — सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-11/लो0से0आ0-01-03/2020 का0.....1686...../राँची, दिनांक- 3 मार्च, 2020
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव। 3/3/20